पीपीवी और एफआर प्राधिकरण अध्यक्ष के नाम पत्र का मसौदा

26 दिसंबर 2021

सेवा में,
डॉ. के. वी. प्रभु,
अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण,
भारत सरकार

प्रिय डॉ. प्रभु,

शुभकामनाएं. इस पत्र के माध्यम से हम FL-2027 से जुड़े निरसन आवेदन के मामले में आपके निर्णय के लिए धन्यवाद देते हैं. हमें ऐसे फैसलों के सकारात्मक प्रभाव का भली-भांति अंदाजा है. यह निश्चित रूप से भविष्य के लिए अच्छा सबक है, प्लांट वैरायटी सर्टिफिकेट (पीवीसी) के आवेदकों और रजिस्ट्री कर्मियों दोनों के लिए. रजिस्ट्री और प्राधिकरण में प्रशासनिक खामियों को उजागर करते हुए, यह मामला और यह निर्णय देश में पंजीकरण- उपरांत निगरानी (monitoring) में खामियों को भी उजागर करता है।

यह पत्र इस बात को भी दर्ज करने के लिए है कि यह निर्णय 'जनहित' के संदर्भ में कुछ मजबूत मुद्दों को उठाने से चूक गया है. दुर्भाग्य से, इस मामले में यह न ही "तथ्य" और न ही "मुद्दों" के रूप में कहीं दर्ज हो पाया है. यह आश्चर्य की बात है कि इन मुद्दों को इस मामले में "तर्कसंगत" तो माना गया, परंतु पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स की PVC (FL-2027) को निरस्त करने में 'जनहित' को आधार नहीं बनाया गया.

(क) जैसे कि आप इस बात से अवगत हैं कि भारत का विशिष्ट सुई जेनेरिस (sui generis) कानून अपने आप में एक ऐसा कानून है जो प्रमुख कानूनी सिद्धांत के रूप में 'जनहित' पर आधार मानता है. इसमें ऐसी कई धाराएं हैं जो PVP के लिए कुछ किस्मों पर रोक लगाने के संदर्भ में जनहित को आधार मानते हैं,और जो अनुदान-पूर्व चरण में जनहित की रक्षा करते हैं। यह अनुदान-उपरांत जनहित प्रावधान का अपने आप में पहला मामला है और प्राधिकरण का निर्णय स्पष्ट शब्दों में परिभाषित नहीं करता है कि यह जनहित किस बारे में है, विशेष रूप से किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर, न ही यह PPV&FR कानून की धारा 28 के तहत आवेदक के अधिकारों को स्पष्ट रूप से सीमित करता है.

(ख) यह आश्चर्यजनक है कि निरसन आवेदन की कार्यवाही को 30 महीनों तक खींचा गया, विशेष रूप से तब जबकि इस समय अवधि में पीवीसी की वैधता अपने आप ही खत्म होने वाली थी. हालांकि हमें एहसास है कि कोविड-19 महामारी के कारण यह कार्यवाही प्रभावित हुई होगी, पर हमें उम्मीद है कि प्राधिकरण भविष्य में तेजी से समयबद्ध निरसन की कार्यवाही करेगा.

(ग) हम जानते हैं कि पौधा किस्म और कृषकअधिकार संरक्षण प्राधिकरण की 18वीं बैठक ने मई 2013 में न्यायिक प्रक्रियाओं/निरसन आवेदनों में अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी को शक्तियां प्रदान की हैं। हालांकि,

निरसन आवेदन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में, यह सही नहीं लगता है कि अंतिम निर्णय लेने में एक व्यक्ति प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करेगा। हम आग्रह करते हैं कि पूरा प्राधिकरण और भारत सरकार इस मामले पर फिर से विचार करे।

हम मानते हैं कि इस निर्णय के बाद प्राधिकरण को अब निम्नलिखित मुद्दों को तत्काल लेना चाहिए:

(1) अब तक दिए गए सभी पंजीकरणों को फिर से देखें, यह जांचने के लिए कि रजिस्ट्री ने पीवीसी पंजीकरण के संबंध में यथोचित कदम उठाया है या नहीं - विशेष रूप से आवेदक की पात्रता, और आवेदकों द्वारा आवेदन करते समय सभी आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों की उपलब्धता, बिक्री की पहली तारीख और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में सही और सुसंगत जानकारी प्रदान की गई है या नहीं।
(2) सभी मौजूदा पीवीसी धारकों को प्राधिकरण से एक स्पष्ट सूचना, एक सलाह या निर्देश दिया जाए कि उनका प्रमाण पत्र किसानों के अधिकारों से संबंधित धारा 39 के अधीन है।
(3) भविष्य के सभी प्रमाणपत्रों को स्पष्ट रूप से धारा 39, विशेष रूप से 39(1)(iv) के अनुरूप बनाना चाहिए।

भवदीय,

XXXX

कपिल शाह
शालिनी भूटानी
कविता कुरुगंती
और
अपना नाम दर्ज करने वाले अन्य...